प्रारूप–(ख)
(देखिए नियम 9(3),(4)और(6)

कार्यालय विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर

क्रमांकः–एफ12(3)(35)राजस्व / 2007 / 7846   दिनांकः– 22/10/07

संपरिवर्तन आदेश

श्री सुरजानी .... पुत्र सुन्दर राम .... साकिन 24 ए. एस. .... तहसील घड़साना .... के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनो के लिए संपरिवर्तन) नियम,2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन (वाणिज्यिक शिक्षण कार्य / छात्रावास) के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है। जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गयी है :–

1– आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति का नाम सहित पूरा पता	श्री सुरजानी पुत्र सुन्दर रामजाति मीणा सा0 24 ए. एस.
2– क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है	हाँ
3– संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :–	
(क) ग्राम, ग्राम पंचायत, तहसील का नाम	24ए. एस. "सी", ग्राम पंचायत 24ए. एस. "सी" तहसील घड़साना
(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का कुल क्षेत्रफल (हैक्टेयर / बीघा में)	चक 24 ए. एस. "सी" मु0न0 36 में कि0न0 1 से 13 में 2.907 है0 कमाण्ड भूमि
(ग) प्रत्येक खसरा संख्या के क्षेत्रफल में उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्ग मीटर)	चक 24 ए. एस. "सी" मु0न0 36 र0न0 84/30 के कि0न009 में 0.031, 10की0.253, 11 की 0.051, एवं 12 की 0.063 कुल 0.398 है0 (3980 वर्गमीटर)

टिप्पणीः– अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए, राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।

4– संपरिवर्तन का प्रयोजन	वाणिज्यिक (शिक्षण कार्य / छात्रावास)
5– संदेय प्रीमियम की दर	10/–रू0 प्रति वर्गमीटर

6- चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा करायी गयी प्रीमियम की रकम	मद 0029 भू-राजस्व में चा0सं01307 दि0 16-5-07 द्वारा 7960/- एवं चा0सं099 दि0 30-4-07 द्वारा 23880/- व पी॰ डी॰ खाता में चा0सं01308 दि016-5-07 द्वारा 7960/- रु0
7- चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम	नहीं
8- चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज, यदि कोई हो, की जमा करायी गयी रकम	— नहीं
9- क्या आदेश नियमितीकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया गया है	नहीं
10- अन्य विशिष्टियां, यदि कोई हो	[illegible] सड़क से 131 फुट की दूरी पर है।

11- उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :-

(1) उपर्युक्त अकृषिक (वाणिज्यिक/शैक्षणिक संस्थान छात्रावास) प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नही किया जायेगा।

(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जाएगा।

(3) नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिए नही किया जाएगा।

(4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि-मान्य अनुज्ञा प्राप्त किए बिना नही किया जावेगा।

(5)

संलग्न-अनुमोदित नक्शा

ह0
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

क्रमांक-एफ12(3)(35)राजस्व / 2007 / 7850 दिनांक- 22/10/07

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है -

1. उप जिला कलक्टर घड़साना
2. तहसीलदार घड़साना
3. सरपंच ग्राम पंचायत 24 ए॰ एस॰ "सी"
4- श्री मुरलानी पुत्र सुन्दर राम जाति मीणा सा024 ए॰ एस॰ मार्फत तहसीलदार घड़साना

(जिला कलक्टर)
श्रीगंगानगर